राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	18/2017 घनश्याम / जयराम प्रा.पत्र रिव्यू — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.17	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत निर्णय दिनांक 24–07–2017 अन्तर्गत अपील सख्या 231/2017 उनवानी जयराम व अन्य बनाम घनश्याम व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) में संशोधन हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा यह निवदेन किया गया था कि प्रार्थना–पत्र में अंकित खसरा नम्बर 1792 व खसरा नम्बर 1793 के साथ–साथ खसरा नम्बर 1806/2732,1807/2573 मौजा झीडागढ भी जोडा जावे।उक्त प्रार्थना–पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–11–2016 को स्वीकार कर संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 08–12–2016 को संशोधित वाद–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की कि " वादी दावेदार है कि एक किता डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1792/0.33,1793/0.52,1806/2732,1807/2573 वाके मौजा झीडागढ तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में आने जाने हेतु रास्ता 30 फीट चौडा प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1807/0.14 वाके मौजा झीडागढ तहसील कोटपूतली जिला जयपुर जिसे संलग्न नक्शे में बरंग सुर्ख लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है, में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करें।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित वाद–पत्र के अनुसार मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 1807 में से पश्चिमी डोल से लगता हुआ 30 फीट चौडा रास्ता आवेदक को आवागमन के लिये दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये।अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सख्या 231/2017 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय हाजा के समक्ष बिना सही व समस्त तथ्यों से अवगत कराये प्रस्तुत की गई हैं जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में संशोधित करवाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 1806/2732 व खसरा नम्बर 1807/2573 में आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते को तथ्यों को छुपा लिया गया हैं। उक्त तथ्यों से अवगत नहीं करवाये जाने से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22/03/2017 को अपने निर्णय दिनांक 24–07–2017 से निरस्त फरमा दिया गया हैं। न्यायालय हाजा द्वारा अपना निर्णय इस आधार पर पारित किया गया है कि आवेदन के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1792 एवम 1793 हेतु खसरा नम्बर 1807 में से होकर रास्ते की मॉगी की हैं जब कि सही तथ्य यह है कि आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1807/2573 एवम खसरा नम्बर 1806/2732 के लिये खसरा नम्बर 1807 में से रास्ते की मॉग की गई हैं। न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य संज्ञान में नहीं लिये जाने के कारण पुनरावलोकनाधीन आदेश पारित किया गया है।प्रकरण से	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आने से निर्णय दिनांक 24–07–2017 पारित किये जाने में अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कारित हुई है।अतः उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज किया गया तथा उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि पुनरावलोकनाधीन आदेश पारित किये जाने में खसरा नम्बर 1806/2732 व 1807/2573 के संबंध में रास्ता चाहे जाने का तथ्य सहवन से न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित नहीं किया गया हैं जिससे उक्त आदेश पारित करने में अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस आफ रिकार्ड कारित हुई है। अतःप्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी सख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि न्यायालय हाजा पारित निर्णय को पुनरावलोकित किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 1792,1793,1806/2732 व 1807/2573 पर आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता का कायम हैं इसलिये प्रार्थी को किसी भी प्रकार के कोई नुकसान होने की संभावना नहीं हैं आराजीयात खसरा नम्बर 1806/2732 व खसरा नम्बर 1807/2573 तक पहुंच हेतु भी दक्षिणी दिशा से चारागाह भूमि से रास्ता आता है जो मौके पर चालू हैं। अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/03/2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसपर न्यायालय द्वारा सही एवं वैध निर्णय पारित किया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं एवं यह निर्णय पुनरावलोकन किये जाने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी को पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया हैं। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 24–07–2017 पारित किये जाने में कोई अपरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड कारित नहीं की गई है अतःपुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र एवम अपील संबंधी मूल पत्रावली का भी गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय दिनांक 22/03/2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रेस्पोडेटस सख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुतोष हेतु साबिका खसरा नम्बर 1792 रकबा 0.33 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1793 रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम झीडागढ में आने जाने के लिये रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1792 एवं 1793 में पहुंच हेतु खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.14 हैक्टेयरा गै0 मु0 रास्ता चेता, धोणा, सोन्या, लीला पुत्र दुला, कौम रैगर सा0 देह के नाम दर्ज है जो मौके पर सार्वजनिक रास्ता के रूप में

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

घनश्याम / जयराम   प्रा॰पत्र निगरानी   1/8/2017

स्थित खसरा नम्बर 2996/1998 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2997/1998 रकबा 0.096 हैक्टेयर गै0 मु0 रास्ता हेतु समर्पण होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा चुका है जो रेस्पोडेंटस सख्या 01 के खसरा नम्बर 1792 एवं 1793 तक पहुंच का रास्ता है इन कथनों को स्पष्ट, सुद्रढ एवं पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध भी किया है पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा अपने अपील में मात्र खसरा नम्बर 1792 व 1793 का हवाला ही दिया गया हैं तथा खसरा नम्बर 1806/2732 एवम 1807/2573 का कोई अंकन अपनी अपील में नहीं किया गया है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण के द्वारा संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र के मद सख्या 1,4 एवम अनुतोष मद सख्या 8 में खसरा नम्बर 1806/2732 एवम 1807/2573 में आने जाने हेतु भी खसरा नम्बर 1807 में से रास्ता चाहा गया हैं।अपीलान्टस द्वारा अपनी अपील में इन तथ्यों को छुपाया गया हैं न्यायालय हाजा द्वारा भी प्रस्तुत अपील के आधार पर अपना निर्णय मात्र खसरा नम्बर 1792 व 1793 की हद तक ही पारित किया गया है तथा यह तथ्य ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस द्वारा खसरा नम्बर 1806/2732 एवम 1807/2573 के लिए भी रास्ता चाहा गया था, न्यायालय के अवलोकन किये जाने से छूट गये हैं।अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजात पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा परिणामस्वरूप न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय पारित किये जाने में अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कारित हुई है। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं अपील सख्या 231/2017 में पारित न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 24–07–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनःसुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

मूल पत्रावली के संलग्न हो।   राजस्व अपील प्राधिकारी